भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / i-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फा.सं.3(2)/सीआर-2006-खंड-I

दिनांक : 15.06.2015

वर्ष 2015 की वाणिज्य पोत परिवहन सूचना सं.06

विषय : सीडीसी आवेदन प्रपत्र को आशोधित किया जाना/ आसान किया जाना और इसे जारी किया जाना-संबंधी.

यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन (सीडीसी) नियमावली, 2001 के नियम 3 के उप खंड के अनुसरण में, नए सतत् उन्मोचन प्रमाण पत्र [सीडीसी] ऑफलाइन (उन अभ्यर्थियों को छोड़कर जिन्होंने नौमनि भारत सरकार अनुमोदित समुद्रपूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को कर लिया है) तथा क्रमश: दूसरी प्रति जारी करनवाने/ नवीकरण करवाने/ सीडीसी को बदलवाने के लिए प्रपत्र ए और प्रपत्र बी में सीडीसी आवेदन तथा इसके मार्गदर्शी सिद्धांत इस वाणिज्य पोत परिवहन सूचना सं. 25/2002 (फा.सं.43(7)/सीआर/2000-IV) दिनांक 11.10.02 में दिए गए थे.

2. नौवहन महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समुद्र पूर्व समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को सीडीसी जारी किए जाने हेतु प्रक्रिया इस कार्यालय की अन्य वापोप सूचना सं. 18/2002 ((फा.सं.43(7)/सीआर/2000-IV) दिनांक 05.09.02 में विनिर्दिष्ट थी तथा प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 सीडीसी ऑफलाइन जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट थे.

3. अनुवर्ती रूप से सीडीसी जारी किए जाने की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कार्यान्वित किए जाने हेतु सीडीसी आवेदन को प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया को और अधिक आसान किया गया था तथा इसे कार्यालय की वापोप सूचना सं. 4/2007 (फा.सं 3(1)-सीआर/2007) दिनांक 09.04.07 के माध्यम से ऑनलाइन किया गया था. ताकि नौमनि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समुद्र पूर्व समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को सीडीसी जारी किया जा सके और इस कार्यालय के एक और आदेश सं.20/2013 [फा.सं.3(2)/सीआर/2006] दिनांक 30.10.13 के माध्यम से व्यक्तिश: श्रेणी [सीडीसी की] (सीडीसी की दूसरी प्रति लेने/ नवीकरण करवाने/ इसे बदलवाने के अलावा) में सीडीसी जारी किए जाने के लिए प्रक्रियाएं दी गईं थी.

4. मुंबई चेन्नई और कोलकाता के नाविकपालों के सरकारी नौवहन कार्यालयों [नौमनि भारत सरकार के अधीन] द्वारा सीडीसी जारी किए जा रहें हैं. उक्त प्रक्रिया वर्तमान में सीडीसी माड्यूल का प्रयोग कर की जा रही है जिसे उक्त माड्यूल में नौमनि भारत सरकार की ई-समुद्र परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है, सीडीसी हेतु आवेदन करने और इसकी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है. तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों को समर्थन प्रलेखों की प्रतियां, अपना पता लिखा और डाक टिकट लगा लिफाफा और एक फोटोग्राफ तथा भौतिक रूप में शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट, प्रस्तुत करने होंगे. इसके अलावा आवेदन और दूसरी प्रति जारी करवाने हेतु, नवीकरण करवाने और सीडीसी को बदलवाए जाने की प्रक्रिया ऑफलाइन तरीके से ही चलती रहेगी.

5. प्रक्रियाओं को और अधिक आसान करने के लिए और नौमनि भारत सरकार की इन सभी प्रक्रियाओं को किए जाने के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में और बाहरी हितधारियों की बातचीत को शामिल कर, पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस करने, सीडीसी को जारी किए जाने के लिए आवेदन और इसकी प्रक्रिया का और अधिक आशोधन/ इसे आसान, निम्नवत् है;

5.1. नौमनि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एमटीआई के प्रशिक्षणार्थियों को सीडीसी जारी किए जाने के लिए विद्यमान प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 को और आसान किया गया और इसे एक ऑनलाइन प्रपत्र में मिलाया गया है, जिसका नाम प्रपत्र 1, जो इसी माड्यूल में हैं.

--2

5.2. सीडीसी का नवीकरण कर जारी किए जाने के लिए आवेदन अब ऑनलाइन उपलब्ध है. ऐसे ऑनलाइन सीडीसी आवेदन करने के लिए आवेदकों हेतु अनुदेश इसी माड्यूल में उपलब्ध करवाएं गए हैं.

5.3. सीडीसी की दूसरी प्रति लेने/ इसे बदलवाए जाने के लिए अनुरोध करने वाले आवेदकों हेतु इसी तरह की ऑनलाइन सुविधा जल्द ही उपलब्ध करवायी जाएगी [अगस्त,15 के समापन तक].

5.4. किसी भी श्रेणी में सीडीसी जारी करवाने के लए आवेदन हेतु अब सभी समर्थन प्रलेख स्कैन किए जा सकेंगे और आवेदन प्रपत्रों के साथ अपलोड किए जा सकेंगे. अब के बाद इस बात की आवश्यकता नहीं होगी इसे ऑफलाइन/ फिजिकल मोड में भी प्रस्तुत किया जाए.

5.5. सीडीसी के लिए अभ्यर्थी का फोटोग्राफ अब स्कैन किया जा सकेगा और इसे उक्त ऑनलाइन प्रणाली में अपलोड किया जाएगा. फोटोग्राफ इस प्रणाली द्वारा सीधे ही लिया जाएगा और इसे सीडीसी बुकलेट पर छाप दिया जाएगा.

5.6. वर्तमान में इस कार्यालय द्वार ई-पेमेंट गेटवे सुविधा प्रदान की गई है ताकि विनिर्दिष्ट सरकारी शुल्क का भुगतान डेविड कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सके.

5.7. अब के बाद से सीडीसी के आवेदकों को इस बात की आवश्यकता नहीं होगी कि वे नाविक पाल के कार्यालय को अपना पता लिखा टिकट लगा लिफाफा भेजें. सीडीसी पुस्तिका अनुवर्ती रूप से स्पीड पोस्ट ए/डी के माध्यम से भेजी जाए. डाक और लिफाफे का खर्च सीडीसी को जारी किए जाने के लिए परिशोधित शुल्क में शामिल कर लिया गया है जो कि नई सीडीसी के लिए ₹ 700 (सात सौ रूपए मात्र) और सीडीसी नवीकरण के लिए ₹ 100 (एक सौ रूपए मात्र) होगा.

5.8. वापोप (एसटीसीडब्ल्यू) नियमावली, 2014 में यथा विहित रूप से अब सीडीसी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि विद्यमान 4 समुद्रकर्मियों के प्रशिक्षण प्रमाणन निगरानी (एसडीसीडब्ल्यू) वाले 4 माड्यूलर पाठ्यक्रमों के साथ पाँचवां पाठ्यक्रम यानि पदनामित सुरक्षा कर्तव्यों के साथ समुद्रकर्मियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण [एसटीएसडीएसडी] या पोत सुरक्षा अधिकारी(एसएसओ) पाठ्यक्रम किया हो.

5.9. नौमनि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समुद्र पूर्व समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान सीडीसी प्राप्त करने हेतु कोई एडवांस शुल्क जमा नहीं करवाएंगे. अब के बाद ऑनलाइन सीडीसी आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा.

5.10. जो सीडीसी समुद्र पूर्व समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को जारी की गईं वे उन प्रशिक्षण संस्थानों को भेज दी जाएंगी और अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (मों) को सफलतापूर्वक कर लिए जाने के बाद ही संबंधित उक्त समुद्र पूर्व समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाएगा. यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाता है तो नौमनि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एमटीआई ये सीडीसी संबंधित नाविक पाल भारत सरकार के कार्यालय को लौटाना होगा. ऐसे एमटीआई तिमाही रिपोर्ट संबंधित नाविक पाल भारत सरकार के कार्यालय को भेजेंगे जो इस संबंध में होगी कि इन्हें ऐसे कुल कितने सीडीसी प्राप्त हुए और कुल कितने अभ्यर्थियों को दिए गए साथ ही कितने इनके द्वारा लौटाए गए, जो कि असफल उम्मीदवारों के मामले में होगा.

6. यह सूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

7. इसे नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(डॉ. अमोल बी. किर्तने)
उप नौवहन महानिदेशक (क्रू)